

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा-2025

शिविर- आद लवाड़ा कला

प्रकरण संख्या- 27/2025

दिनांक- 24/6/2025

गोनबारी पुत्री
बहारी

उपखण्ड

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

आदेश :-



प्रार्थी के खाता पुरखली पाबना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पत्रादेश
इल्का आ. उला मू. अ. नि. आ. उला एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की
रिपोर्ट/अनुशाषा अनुसार राजस्थान मू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत
ग्राम बोमडा 40 हठ आ. उला की वर्तमान स्थायी
जमाबन्दी के खाता संख्या 105 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को
निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये
जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1	<u>बोमडा का नाम</u>	<u>गोनबारी पुत्री बहारी</u> <u>मीणा छि. 115</u> <u>रहता 5887 शाब</u> <u>Swm सीटी</u>	<u>गोनबारी पुत्री बहारी</u> <u>मीणा छि. 115</u> <u>रहता 5882 शाब</u> <u>Swm सीटी</u>

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

प्रतिहारी -

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी गोनबारी पुत्री बहारी मीणा छि. 115
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)